

UTTAR PRADESH

Summary

- **Nutrition**
Double ration to Children infected and affected by AIDS
- **Free Blood and Blood Product Component**
Free blood and blood product to People Living with HIV
- **Free Treatment (Base Line test)**
Free base line test, laboratory/ radiological investigation required for diagnosis and management of several clinical conditions.
- **MNREGA**
Priority in MNREGA job card to People Living with HIV.
- **Treatment without Discrimination**
Treatment without discrimination against People Living with HIV
- **Legal Aid**
Legal aid to People Living with HIV.

सदाकान्त

आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

अर्द्धशा0पी0सं0-456/60-2-2012-2/1(35)/09

समाज कल्याण, डा0 अम्बेडकर ग्राम सं0 विकास
महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,

लखनऊ : दिनांक : 01 मार्च 2012

प्रिय महोदय,

कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2012 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित वृद्धों को डबल राशन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन करने के लिए स्टाफ मीटिंग में भी सभी फील्ड आफिसर्स को जानकारी दे दी गई है और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। निर्गत शासनादेश की प्रति संलग्नक कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

सप्रेम,

भवदीय,

(सदाकान्त) 1/3/12

श्री एस0पी0 गोयल,
परियोजना निदेशक,उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी,
ए-ब्लाक, चतुर्थ तल, पिकप भवन,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

OD (Mainstreaming)

5/3/2012

5/3/12
2012

संख्या-1019/पांच-1-2011

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, च0प्र0
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 19 अप्रैल, 2011

विषय: रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/जिला चिकित्सालयों में स्थापित रक्तकोषों एवं नाकों, भारत सरकार द्वारा सहायित रक्तकोषों द्वारा रक्त एवं रक्त अवयव हेतु लिए जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में शासनादेश संख्या-438/पांच-1-08 दिनांक 18.04.2008 तथा इस परिप्रेक्ष्य में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3117/पांच-1-08, दिनांक 07.11.2008 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 18.04.2008 के प्रसार 1 से 3 में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधान को अवकनिता करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. प्रदेश के राजकीय/नाको सहायित रक्तकोषों में रक्त एवं रक्त अवयव हेतु निम्नलिखित दरों के अनुसार सर्विस चार्ज लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

रक्त/रक्त अवयव	दर (रु०)
(क) होल ब्लड (Whole Blood)	400/-प्रति यूनिट
(ख) पैकड रेड ब्लड सेल्स (Packed Red Blood Cells)	400/-प्रति यूनिट
(ग) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा (Fresh Frozen Plasma)	200/-प्रति यूनिट
(घ) रैंडम डोनर प्लेटलेट कन्संट्रेट (Random Donor Platelet Concentrate)	200/-प्रति यूनिट
(ङ) क्रायोप्रेसिपिटेड (Cryoprecipitate)	100/-प्रति यूनिट

2. निम्नलिखित श्रेणियों के रोगियों के लिए रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान करते हुए उनको राजकीय/नाको सहायित रक्तकोषों से रक्त एवं रक्त अवयव निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) बी.पी.एल कार्ड धारक।

(ख) धैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी, जिन्हें जीवन-पर्यन्त रक्त की आवश्यकता होती है।

(ग) एच.आई.वी./एड्स धीड़ित रोगी।

- (घ) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलायें।

(ङ) लावारिस/कैदी/विकलांग व्यक्ति (सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधा/चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के विवेकाधीन)।

क्रमशः- 2

-2-

3. रक्तदाताओं को रक्तदान के पश्चात् सूक्ष्म जलपान उपलब्ध कराया जाए जिस हेतु अधिकतम धनराशि रु० 20/- प्रति रक्तदाता के अनुसार, रक्त/रक्त अवयव हेतु प्राप्त सर्विस चार्ज से व्यय किए जा सकते हैं।
 4. शासनादेश दिनांक 18.04.2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.11.2008 के शेष प्रावधान मथास्त रहेंगे।
- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
16.04.11
(मणि प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या: 1019(1)/पांच-1-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा, अनुभाग-1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
4. परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
5. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ०प्र०।
6. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ०प्र०।
7. औषधि नियन्त्रक, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त प्रभारी, रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
10. समस्त ए०आर०टी० केन्द्र।
11. विशेष सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आर०एस० परिहार)
अनु सचिव।

कुमार अरविन्द सिंह देव
आई.बी.एस.ओ.
प्रमुख सचिव



संस्थापक पत्रांक: एड्स संयोजन (AIDS Coordination)
अंक: 10 पत्रांक: 46280-95286
दूरभाष : (0522) 2616648 (कार्यालय)
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
प.सं. 306-309 तृतीय तल विकास
भवन, राधिकालय, लखनऊ

दिनांक: 22 मार्च, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविज्ञ हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालन में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है। उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रदेश के समस्त एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों का मेडिकल कॉलेजों एवं जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की श्रृंखला में Baseline Test (प्रारम्भिक जाँच) कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, जिसके उपरान्त ही एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार की श्रेणी तय की जाती है कि उसे किस प्रकार का उपचार प्रदत्त किया जाना है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक दशा इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उपरोक्त उपचार हेतु व्यय की जाने वाली समस्त राशि का वहन वह स्वयं कर सकें। अतः ऐसे में उनके उपचार में होने वाली असुविधा/बाधा उनके शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है एवं यदा-कदा समुचित उपचार प्राप्त न कर पाने की अवस्था में उनका देहान्त भी हो जाता है।

इसी क्रम में सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित शासनदेश संख्या-1094/71-1-200-जी-13/2000, दिनांक 12 जुलाई, 2000 (छाया प्रति संलग्न) के विन्दु-2 में व्यवस्था है कि “विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ एवं शिशु कल्याण राष्ट्रीय कुष्ठ/क्षय/अन्धता निवारण कैंसर नियन्त्रण/एड्स नियन्त्रण/मलेरिया एवं फाइलेरिया नियन्त्रण तथा घेया नियन्त्रण कार्यक्रम, इनमें से जो भी मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्ध चिकित्सालयों द्वारा भेजे जाएँ उनसे संक्रमित रोगियों से किसी भी प्रकार का सेवा/सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा” किन्तु इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों द्वारा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की प्रारम्भिक जाँच (Base Line Test) हेतु धनराशि ली जा रही है।

आपके संज्ञान हेतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ए.आर.टी. केन्द्र वाराणसी जनपद में आई.एम.एस. बी.एच.यू.; गोरखपुर जनपद में बी.आर.डी.मेडिकल कॉलेज एवं मेरठ जनपद में एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को Free Base Line

Test की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु शेष जनपदों कानपुर (जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज), लखनऊ (छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय), इलाहाबाद (एम.एल.एन.मेडिकल कॉलेज), आगरा (एस.एन.मेडिकल कॉलेज), झाँसी (एम.एल.वी.मेडिकल कॉलेज), अलीगढ़ (जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज) और इटावा (उ.प्र.ग्रामीण आर्युर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई) के मेडिकल कॉलेजों में Free Base Line Test की सुविधा वर्तमान में एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की जाँच/उपचार हेतु उपलब्ध नहीं है।

आपसे अपेक्षा है कि उपर्युक्त पूर्व प्रेषित शासनादेश का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को जाँच/उपचार हेतु निःशुल्क Free Base Line Test की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

22-3-10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

संलग्न सूची के अनुसार

- 131. કાર્યાલય સંચાલન કે કોઈ રોગીનાં ને રૂબ રૂબ કે કોઈ સ્થળે
થી પ્રવાસ કે સ્થળ / પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી
- 132. કોઈના કાર્યો કરવા અથવા કોઈના કાર્યો ને કોઈ સ્થળે રોગી
કે પ્રવાસ થી કોઈ પ્રવાસ થી મળી સ્થળે સંચાલન કરી
નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી
- 133. કોઈના કાર્યો કરવા અથવા કોઈના કાર્યો ને કોઈ સ્થળે રોગી
કે પ્રવાસ થી કોઈ પ્રવાસ થી મળી સ્થળે સંચાલન કરી
નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી
- 134. કોઈના કાર્યો કરવા અથવા કોઈના કાર્યો ને કોઈ સ્થળે રોગી
કે પ્રવાસ થી કોઈ પ્રવાસ થી મળી સ્થળે સંચાલન કરી
નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી
- 135. કોઈના કાર્યો કરવા અથવા કોઈના કાર્યો ને કોઈ સ્થળે રોગી
કે પ્રવાસ થી કોઈ પ્રવાસ થી મળી સ્થળે સંચાલન કરી
નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પરવાસ થી નિઃશ્ચય થઈ જાય તેમ જ સ્થળે થી ને મળી
પુરોગામી કે મળી સ્થળે સંચાલન કરી

✓

20/11/20

131

הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה
הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה

132

הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה
הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה

151

הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה
הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה

152

הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה
הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה

הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה
הממשלה תהיה אחראית על כלל הוצאותיה

292

संख्या- / 38-7-2009-एनआरईजीए/09

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र०, लखनऊ।

1409

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2432/38-7-09-एनआरईजीए/09, दिनांक: 24-09-2009 द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच०आई०वी० से संक्रमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिये जाने के साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-08-2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये एच०आई०वी० और एड्स की जानकारी से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जीव कार्डों पर अंकित किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० को निर्देशित किया जा चुका है।

2- इस संबंध में श्री एस०पी०गोयल, परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी गोमतीनगर के अर्द्धशा० पत्र दिनांक: 16-11-09 की छायाप्रति मय संलग्नक सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार कृपया प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-3977(1)/38-7-2009 तददिनांक:-

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, ए ब्लॉक, चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को शासन के पत्र दिनांक: 24-09-09 की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

D:\NREGA-09\A\40100.doc

संख्या- 2432 / 38-7-2009-एनआरईजीए / 09

8-9

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2009

विषय:-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स से संकमित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-के-11021/1/08-नरेगा, दिनांक: 03-03-2009 के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देश पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निम्न कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:-

"भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक: 03-03-2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य दिये जाने में एच0आई0वी0 से संकमित व्यक्तियों को उपेक्षित न किया जाय। ऐसे व्यक्तियों को मानवीय आधार पर हल्का कार्य दिया जाय। साथ ही अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक: 09-06-2009(प्रतिलिपि मय संलग्नक सहित) द्वारा उपलब्ध कराये गये एच0आई0वी0 और एड्स की जानकारीयों से सम्बन्धित NACO के संदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जॉब कार्डों पर अंकित किया जाय।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपरोक्त अंकित निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

24/9/09
(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

o/c

प्रदीप शुक्ला

उत्तर प्रदेश
संयोजक



उत्तर प्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
1/11/12-10/12/15

उत्तर प्रदेश शासन 10/12/11-10/12/15

515, विद्यार्थी भवन, लखनऊ - 226001
(फोन) 0522-2627029 10/12/11-10/12/15
(फैक्स) 0522-2625449

दिनांक: 27 अप्रैल, 2010

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सुविधा है कि राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण नीति के अनुपालनार्थ एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जाना अति महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित राज्य एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की सफलता के प्रभावी आंकड़ों हेतु एच.आई.वी./एड्स रोगियों की सुरक्षा एवं देखभाल के साथ-साथ चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है; जिसे दृष्टिगत कर राष्ट्र एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम में Post Exposure Prophylaxis का प्राविधान रखा गया है; इसके अनुसार किसी एच.आई.वी./एड्स रोगी का उपचार करते समय यदि कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी के रक्त अथवा शारीरिक द्रव्य के सम्पर्क में आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए Post Exposure Prophylaxis के अन्तर्गत उन्हें निःशुल्क एन्टीरेट्रोवायरल औषधि प्रदान किए जाने की सुविधा प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व राजकीय जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त Universal Precautions का सदुपयोग तथा अनुकरण कर बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को समुचित एवं पूर्ण उपचार दिया जा सकता है; किन्तु विभिन्न जनपदों में प्रायः यह देखा/पाया जा रहा है कि या तो एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को उपचार हेतु मना कर दिया जा रहा है; या फिर उपचार प्रदत्त करने से पहले उन्हें अन्यत्र जनपदों के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सालयों को स्थानान्तरित कर दिया जा रहा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र संख्या T-11020/29/1998/NACO(Admin ART) दिनांक 26 अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बिन्दु 10 तथा 11 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि:-

बिन्दु 10:- "All Doctors, nurses and hospital staff, whether in public sector or private sector shall treat PLHAs in a professional and humane manner, treating them always with dignity and care. No Doctor or nurse shall refuse to treat a PLHA on account of his/her positive status. In treating a PLHA, there shall be no discrimination or stigma whatsoever."

बिन्दु 11:- "Doctors in the private sector, in particular, are directed to immediately familiarize themselves with the NACO's comprehensive protocol and policies with regard to care and treatment, which are available on NACO website."

NACO approved ART regimen have proven to be cost effective, safe and PLHAs have shown good response to these regimen. The private practitioners should use these cost effective regimen in the first instance and other regimens should be prescribed only in case where these cannot be used for the reasons of toxicity/failure etc. The Medical Council of India and the Consumer Courts are to take a strict view of private practitioners who take advantage of exorbitant amounts. Irrational prescriptions using wrong dosages/wrong combinations shall be dealt with severely and appropriate action taken."

उपर्युक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने मेडिकल कॉलेज/जिला चिकित्सालय एवं प्राइवेट चिकित्सकीय प्रबन्धन में तत्काल प्रभाव से बिना किसी भय अथवा संकोच के एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का अपेक्षित उपचार (प्रसव सहित) दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें; यदि इस विषय पर किसी भी चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के विषय में मौखिक अथवा लिखित शिकायत पाई गई तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त

भक्तदीप,
(प्रदीप शुक्ला)

कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
समस्त मेडिकल कॉलेज
मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका
समस्त जनपद एवं जिला चिकित्सालय

प्रतिलिपि:- समस्त जिला अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार बिन्दु 11 के अनुपालन में अपने जनपद के समस्त प्राइवेट चिकित्सालय प्रबन्धन को निर्देशित करने हेतु।

(प्रदीप शुक्ला)

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट देवरिया (उत्तर प्रदेश)

बार काउंसिल सम्बद्धता मूल सं-9/1983 नवीनीकरण सं-3/05 पंजीकरण सं0 01/08/2000

अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	सचिव
सुभाष चन्द्र राव (एडवोकेट) मो0- 9450668302	योगेन्द्र नाथ तिवारी (एडवोकेट) मो0- 9919364632	रामेश्वर तिवारी (एडवोकेट) मो0- 9450668526

1. उपाध्यक्ष

आद्या कुमार पाण्डेय
एडवोकेट

2. उपाध्यक्ष

राजेश तिवारी
एडवोकेट

3. कनिष्ठ उपाध्यक्ष

नोज कुमार राय
एडवोकेट

4. कोषाध्यक्ष

अरुण कुमार उपाध्याय
एडवोकेट

5. संपुक्त मंत्री

तरुण कुमार मणि
एडवोकेट (प्रशासन)

6. संपुक्त मंत्री

रूपेश कुमार तिवारी
एडवोकेट (पुस्तकालयाध्यक्ष)

7. संपुक्त मंत्री

विजय कुमार पाण्डेय
वोकेट (पब्लिकेशन)

8. वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी

दयानिधि गुप्ता

लक्ष्मण मिश्रा

लालबाबू गुप्त

रविन्द्र मणि

श्रवण कुमार उपाध्याय

ठाकुर सुशील कुमार सिन्हा

9. कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी

राजेश तिवारी

अजय कुमार उपाध्याय

खलेश कुमार पाण्डेय

चन्द्रशेखर तिवारी


जयराम कुशवाहा

संजय सिंह

पत्रांक ...

दिनांक ... 13.07.09

दिनांक 19.03.2009 को मेनस्ट्रीमिंग आफ एच0आई0वी0 एड्स परियोजना के अन्तर्गत जो कार्यशाला बार एसोसिएशन देवरिया में साई द्वारा आक्सफाम, यू0एन0डी0पी0 और यू0पी0 सेक्स के सहयोग से सम्पन्न की गयी थी। वह कार्यशाला बहुत ही सराहनीय थी। उपरोक्त कार्यशाला से प्रभावित होकर हम सब बार एसोसिएशन, देवरिया के सदस्यगण मिलकर ये निर्णय लिये है कि एच0आई0वी0 पाजिटिव व्यक्तियों से सम्बन्धित उनके हक एवं अधिकार हेतु जो भी मुकदमा आता है, उस मुकदमें को हम सब सदस्यगण बिना शुल्क कानूनी सहयोग देंगे और उसको प्राथमिकता के तौर पर निपटारा करावेंगे।



अध्यक्ष

बार एसोसिएशन देवरिया,
Subhash Chandra Rao

(Advocate)

President

Dist. Bar Association, Deoria

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-मऊ



(सत्र-2009-10)

पत्रांक :

दिनांक : 01/02/09

अध्यक्ष
ओमप्रकाश वर्मा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
गुलाब चन्द सोनकर

कनिष्ठ उपाध्यक्ष
सुधीर कुमार श्रीवास्तव
रईस अहमद

साधारण उपाध्यक्ष
संजय कुमार सिंह

मंत्री
ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी

सहमंत्री-प्रशासन
कमलेंद्र प्रताप नारायण सिंह
बदरुद्दीन आलम

सहमंत्री-लाइब्रेरी
लक्ष्मण गुप्ता

कोषाध्यक्ष
सरदार दीप नारायण सिंह

ऑडिटर
सुरेश यादव

दिनांक 21-03-2009 को मेनट्रैपिंग आफ रजिस्ट्रार ऑफ दिसट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अतिरिक्त जो कार्यगाला बार एसोसिएशन, जयपुर-मऊ में लॉन्ग साईड/ ऑक्सेप्ट /यू. एन. डी. पी. / यू. पी. सेक्टर द्वारा सम्पन्न की गयी थी वो कार्यगाला बहुत ही सराहनीय है। उपरोक्त कार्यगाला से हम सब मिलकर निर्णय लिए हैं कि कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ दिसट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मऊ के सदस्यता बिना गुरुक के लड़ें और इसको प्राथमिकता के तौर पर प्रथम करीयता दें।





पंजीकृत संख्या : 443 1981 86

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा



अध्यक्ष :

पण्डित राम द्विवेदी
मोबा 9412951536

महामंत्री :

हनुम कुमार सिंह चौहान
मोबा 9311603048

वरिष्ठ उपाध्यक्ष :

एन.ए.ए.ए.ए.ए.ए.
(संलग्न कार्य)

उपाध्यक्ष :

भद्रकांत शर्मा
विशाल शर्मा ललित

कनिष्ठ उपाध्यक्ष :

अनुराग कुमार पाण्डेय

कोषाध्यक्ष :

गणेश कुमार दुधे

संयुक्त मंत्री :

अनुराग कुमार पाण्डेय
अभिषेक शर्मा
राजीव कुमार पाण्डेय

वरिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी :

राजेश कुमार मिश्रा
मोबा 9311603048
सुभाष कुमार पाण्डेय
डॉ. भूपाल शर्मा
पण्डित बाबू चतुर्वेदी
हनुम कुमार चौहान

कनिष्ठ सदस्य कार्यकारिणी :

अजय सिंह
जितेंद्र सिंह मटोरेला
लक्ष्मी शर्मा ललित
निखिल शर्मा
अमित अग्रवाल
अनुराग कुमार
श्रीमती शारदा शर्मा

पत्राचार तथ्या :

दिनांक : 17-8-09

संदर्भ :

UNDP/NACO द्वारा संचालित मेनस्ट्रीमिंग ऑफ HIV/AIDS परियोजना के तहत जिला अधिवक्ता संघ भवन इटावा पर HIV ग्रसित व्यक्तियों के अधिकारों के सम्बन्ध में व वाद संस्थापित करने हेतु अभिभाषक वन्युआ के साथ श्रीमान् सिविल जज सीनियर डिबीजन महोदय की उपस्थिति में दिनांक 22.03.09 को जी कार्यशाला MRU Oxfam India व SARD दिल्ली/ इटावा के सहयोग से आयोजित की गयी थी। वह विधिक दृष्टिकोण से हम सभी के लिये बहुत उपयोगी व सराहनीय है।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के पश्चात् हम सभी अधिवक्तागणों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भी HIV ग्रसित व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वाद संस्थापित करने के उद्देश्य से आता है तो हम सब बार एसोसिएशन इटावा के सदस्यगण उस व्यक्ति की मुकदमा/पैरवी प्राथमिकता के साथ निःशुल्क करेंगे व वाद निस्तारण में वरीयता प्रदान करेंगे।

Rachy Shyama

राधेश्याम शर्मा
एडवोकेट

अध्यक्ष

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा

H.K. Singh

हनुम कुमार सिंह चौहान
एडवोकेट

महामंत्री

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा